बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

सं0सं0-3/यो0-36/2018 15

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 12.6.18

विषय: **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश एवं बजट उपबंध के आलोक में राज्य के सभी 38 जिलों में उज्ज्वला गृह योजना के संचालन के निमित वर्तमान में बिहार के 8+2=10 जिलों में संचालित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी/व्यापार, यौन शोषण, यौन पणन की शिकार महिलाओं को वेश्यालयों से मुक्त कराकर संचालित उज्ज्वला गृह में आवासित कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। बिहार राज्य के सभी 38 जिलों में उज्जवला गृह योजना का संचालन किया जाना है। वर्तमान में इस योजना को बिहार के 08 सीमावर्ती जिलों यथा- मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, प0 चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, अररिया, किशनगंज, शिवहर के साथ 02 अन्य जिलें पटना एवं गया में संचालन हेतु स्वीकृति प्राप्त है। इन गृहों का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निदेश के अनुरूप होगा।

2. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार प्रत्येक गृह के लिए पांच प्रक्षेत्रों का कुल बजट आवर्ती एवं अनावर्ती मद में रू0 27,96,500/- (सताईस लाख छियान्बे हजार पांच सौ) निर्धारित है, अर्थात केन्द्रांश मद में रू0 16,77,900/- (सोलह लाख सतहत्तर हजार नौ सौ) एवं राज्यांश मद में 8,38,950/- (आठ लाख अड़तीस हजार नौ सौ पचास) एवं स्वंय सेवी संस्थाओं का अंशदान 2,79,650/- (दो लाख उन्नासी हजार छः सौ पचास) है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्वय सेवी संस्थाओं का अनुपात क्रमश 60:30:10 है।

3. इस योजना का संचालन महिला विकास निगम द्वारा किया जायेगा। राशि की निकासी प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, पटना से पूर्व प्राप्ति रसीद लेकर की जायेगी। इस योजना का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, समाज कल्याण होंगे।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना राशि की निकासी कर प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, पटना को उपलब्ध करायेंगे। राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना से की जायेगी।

5. इस योजना हेतु स्वीकृत राशि की निकासी उज्ज्वला गृह योजना के अधीन केन्द्रांश की राशि तथा राज्यांश की राशि खोले गये नये शीर्ष के अधीन विकलनीय है।

6. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार) 12/6/18
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :-3/यो0-36/2018/......15...... पटना, दिनांक 12.6.18

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय,/लेखा शाखा, समाज कल्याण निदेशालय/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार) 12/6/18
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक : 3/यो0-36/2018/......15...... पटन, दिनांक 12.6.18

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार) 12/6/18
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।